

पत्रांक-
प्रेषक,

गु0310(अ0उ0)4515-01-1264/2025 - 312 G

विहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

/पटना, दिनांक- 29.08.2025

संजय कुमार, भा0404010
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकनाशी)
विहार, पटना।

विषय:-

मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103-सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये कुल 06 (छः) पथों का घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

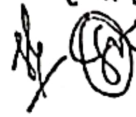
निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103-सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये कुल 06 (छः) पथों का घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र.सं.	जिला	कार्य प्रणाल	प्रणाल	योजना का नाम	विशेष रूप से घटने मद कार्य की लम्बाई (फिटमीटर)	कुल अनुमोदन राशि (लक्ष में)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rohas	Bikramganj	Bikramganj	Mohini Durga Mandir To Bal More Nahar Tak	0.725	75 217.5
2	Gaya	Gaya	Sadar Gaya	Kewali Dam RCD Road To Murkitta Village	1.300	64 362.0
3	Gaya	Gaya	Sadar Gaya	L063-Kathotiya More To Kathilari Ghal (VR63)	1.683	62 508.00
4	Gaya	Gaya	Sadar Gaya	L080-Shohan Bigha Gutya Road To Paharpur (Track 80)	2 030	75 819.00
5	Gaya	Gaya	Tankuppa	L038-Ginjoe Road To Bhetaura (VR38)	2 330	56 568.00
6	Siwan	Siwan-I	Pachrukhi	NH 531, Mansingh tola road to Jurihata Tak road	0.445	64 000.00
Total					8.733	432.766

2. मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103 - सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन 1998.41 करोड़ रुपये का वजट Sanction (BOS) की अधिसीमा के अतिरिक्त 14626.07 करोड़ रु0 क्षांत किये जाने पर प्रदान की जाने वाली कुल राशि रु0 432.766 लाख निर्धारित Bank of Sanction (BOS) की अधिसीमा के अधीन है।
3. संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रणाल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निवासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एवम्पराणा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निवासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निवासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

4. सारणी में अंकित 06 योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
5. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0310(अ0उ0)4515-01-1264/2025, दिनांक 14.08.2025 को प्राप्त है।
6. सारणी में अंकित 06 योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराने हेतु घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य राधिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- मु0310(अ0उ0)4515-01-1264/2025 में दिनांक 26.08.2025 को अनुमोदन प्राप्त है।
7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक नद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरतः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।





स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहगति से निर्गत किया जा रहा है।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहगति संचिका संख्या- मु0अ0(अ0उ0)4515-01-
1264/2025 के पृ0- 13 / टि0 पर दिनांक- 28/08/2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अ) 29/8/25

(राजय कुमार)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- मु0अ0(अ0उ0)4515-01 -1264/2025 - 3126 / पटना, दिनांक- 29/08-2025
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अ) 29/8/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- मु0अ0(अ0उ0)4515-01 -1264/2025 - 3126 / पटना, दिनांक- 29/08-2025
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास
विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य
विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास
आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव वजट शाखा,
ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अर्चीलन
अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में
अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
प्रेषित।

(अ) 29/8/25

संयुक्त सचिव।